21/11 वकील वादीगण एवं

प्रतिवादी वकील कोर्ट कार्यवाही में बनी हुई वादीगण एवं प्रतिवादीगण व 23 एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं 2 ने रजीनामा पेश किया वकील वादीगण ने बहस उनकी बहस सुनी रजीनामा का अवलोकन किया वादीगण के वाद पत्र को पढ़ा लिखे गए संदर्भ हुआ तो कुमाल के खसरा गत 1000 रकबा 2.45 है० को ने जोहदा बालूराम पुत्र मोलू जाति मेघवाल की जाति खेमान दि० 24.1.2001 के द्वारा बाटी था। मेहराम पुत्र मोटूराम जाति मेघवाल निवासी जयपुरा को खेमान 0.045 है० का कर दिया फिर गाटा 1000 का विभाजन हुआ तो बालूराम के वारिसान मोहन लाल पुत्र बालू के खाता 344/23 रकबा 0.15 है० व हेमाराम पुत्र बालूराम के खाता 343/23 रकबा 0.15 है० मिलने के बाद

श्रीराम
अधि.
जोधपुर
Identified
हेमाराम

वर्तमान हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए

वादी जेठूराम का एक हिस्सा पश्चात् प्रतिवादी मोहन राम ने अपना हक हिस्सा जरिये बैनामा वादी व० 2 मोनाराम पुत्र हनुमान राम जाति नायक वि० हुकाना को प्रतिफल राशि बैनामा कर दिया। प्रतिवादी व० 2 हेमाराम ने इकरारनामे जबरन पेश कर अपने हिस्से की से उनके पिता द्वारा बैनामा वादी जेठूराम को किया था को ख० 343/25 रकबा 0.15 हे० में से 0.0403 हे० की हिस्सेदारी लेकर आपस में मौखिक पंचायत से रजामंदी किया रजामंदी एवं मेरे के उपर मतभेदान की पुख्ता तरह से वादिवाद का बाद जारी रजामंदी कायम होकर होने से निम्न प्रकार अर्जी दायर किया जाता है।

अर्जदार

ग्राम सरसपुरा त० नागौर के ख० 344/25 रकबा 0.15 हे० का वादी व० 2 मोनाराम पुत्र हनुमान राम जाति नायक वि० हुकाना को व ख० 343/25 रकबा 0.15 हे० में से 0.0403 हे० का वादी स० जेठूराम पुत्र जेठूराम जाति बलाई वि० प्रेमपुरा को खातेदार कायम कर होशिये किया जाता है तथा ख० 344/25 के खातेदार मोहनलाल पुत्र बालूराम का नाम खारिज कर दिया जाता है। ~~[illegible]~~ मेरा नाम दर्ज किया जावे। रजामंदी किसी के आपस हस्ताक्षर से तहरीर जारी हो। निम्न नाम के नाम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निवेदन है आगे श्रीमान मेरी दुकानवाली के दुकाना गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)